दैनिक जागरण
30 सितम्बर, 16

बेटा हर माह मां को देगा तीन हजार रुपए गुजारा भत्ता, 10 फीसदी वार्षिक वृद्धि भी

मां ने मानवाधिकार आयोग में लगाई थी गुहार

शहर संवाददाता, भोपाल

जीवन भर पाई-पाई जोड़ कर रहने के लिए आशियाना बनाया था। सोचा था कि बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन आज उसी घर में रहने के लाले पड़े हैं। यह पीड़ा मां (इन्दुबाला वर्मा) की है। जिन्हें उनका बेटा (महेंद्र सिंह वर्मा) ही प्रताड़ित कर रहा है। इस मामले में गोविंदपुरा एसडीएम श्वेता पधार ने बेटे को 3000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित तरीख तक मां के बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे। यही नहीं हर वर्ष मार्च माह में इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी करनी होगी। इसके साथ ही बीमार होने पर इलाज कराने के साथ-साथ देखरेख भी करनी होगी। एसडीएम ने बेटे को साफ कर दिया है कि इस आदेश को नहीं मानने की स्थिति पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

यह है मामला - लक्ष्मी नगर पिपलानी स्थित मकान नंबर -45 में रहने वाली इन्दुबाला वर्मा (66 वर्ष) ने करीब छह माह पहले मानव अधिकार आयोग में शिकायत की थी, बेटा महेंद्र सिंह वर्मा व बहू दोनों ही दहेज पताड़ना के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं तथा रोजाना प्रताड़ित करते हैं। 27 जुलाई 2012 को पति रमेश चंद्र वर्मा की मृत्यु होने के बाद से बेटे ने प्रताड़ित करना चालू कर दिया था। अब तो घर में रहना तक दूभर हो गया है। इस वृद्धावस्था में भी बेटे -बहू देखभाल व सेवा तक नहीं करते हैं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में बेटियां और दामाद ही देखभाल करते हैं, लेकिन बहू उन्हें अपमानित करती है। बार-बार दहेज प्रताड़ना का केस लगाने की धमकी भी देती है। इन्दूबाला ने मानव अधिकार आयोग से न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। एसडीएम कोर्ट गोविंदपुरा द्वारा जांच कराने पर सामने आया कि पुत्र का परिवार मां के साथ ही रहता है। घर के पीछे एक कमरा व दो दुकानें आगे बनी हुई है। जो किराए पर चलती थीं, लेकिन वर्तमान में पारिवारिक विवाद के चलते रिक्त हैं। इन्दूबाला के पति बीएचईएल से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे।